

**पुलिस**

**अधीक्षक**

**जनपद**

**आजमगढ़**



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- [spazh-up@nic.in](mailto:spazh-up@nic.in)



पत्र संख्या- 238/2024

**AZAMGARH POLICE**

दिनांक- 31.07.2024

**प्रेस नोट**

**थाना – देवगाँव**

**शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 11.06.2024 को आवेदिका द्वारा एक लिखित तहरीर दिया गया कि आवेदिका को शादी का झाँसा देकर तीन वर्षों तक यौन शोषण करने के बाद गर्भवती बनाया फिर दो बार गर्भपात करवाना तथा तीसरी बार 05 माह की प्रेगनेन्ट होने पर दबाव में मन्दिर में शादी किया तथा मारने/मरवाने की व फर्जी मुकदमे में फसाने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 227/2024 धारा 376,313,323,504,506,34 वनाम राकेश कुमार पुत्र राजकुमार साकिन मारुखपुर हादीअली थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ भादवि पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र द्वारा प्रारम्भ की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 31.07.2024 को प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र मय हमराह के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र राजकुमार साकिन मारुखपुर हादीअली थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को निहोरगंज बरसेरवा से 08.55 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं0 227/2024 धारा 376,313,323,504,506,34 भादवि थाना देवगाँव, जनपद आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 227/2024 धारा 376,313,323,504,506,34 भादवि थाना देवगाँव, जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-** राकेश कुमार पुत्र राजकुमार साकिन मारुखपुर हादी अली थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

1. प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र
2. हे0का0 ओमप्रकाश सिंह
3. का0 शिवम तिवारी

**थाना - कन्धरापुर**

**चोरी के 01 सिलेन्डर, 02 बाल्टी, 2 जग, 01 भगौना मय ढक्कन, 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु) व अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 26.05.2024 को वादिनी मंजू रानी इ0प्र0अ0 उच्च प्रा0वि0 कम्हेनपुर पल्हनी आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0 पत्र दिया गया था कि दिनांक 25.05.24 की रात्रि में विद्यालय के किचन का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय से 02 भरा हुआ सिलेण्डर, 03 भगौना, 03 जग, 02 बाल्टी, 01 चूल्हा चोरी कर ले गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-147/24 धारा 457/380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 रमेश कुमार के द्वारा प्रचलित है।

➡ दिनांक 18.07.2024 को वादी मुकदमा प्रमोद यादव पुत्र मंगल यादव ग्राम सौरा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय प्रा0 पत्र दिया कि दिनांक 16.07.2024 की रात्री को अज्ञात चोरो ने वादी के घर से 2 सोने की अंगूठी, 01 सोने की ताबीज, 01 01 लाकेट, 01 पायल चोरी कर ले गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 203/24 धारा 331(4), 305 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 लाल सिंह के द्वारा प्रचलित है।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों - 1. बृजेश यादव उर्फ लाडो यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी ग्राम जानकीपुर अम्माई थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 2. सुनील यादव पुत्र चन्द्रजीत यादव निवासी भुर्रा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 3. शिवम यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी रवनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकश में आया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 31.07.2024 को व0उ0नि0 रमेश कुमार मय हमराह, उ0नि0 लाल सिंह, उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्तों 1. बृजेश यादव उर्फ लाडो यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी ग्राम जानकीपुर अम्माई थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 2. सुनील यादव पुत्र चन्द्रजीत यादव निवासी भुर्रा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 3. शिवम यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी रवनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को जोलहापुर पुलिया से समय करीब 01:30 बजे गिरफ्तार

किया गया। जिनके पास से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर(अभि0 बृजेश यादव के पास से), व 01 खाली सिलेन्डर, 02 बाल्टी, 2 जग, 01 भगौना मय ढक्कन, का व 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु) का बरामद किया गया।

#### **पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 214/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़। (बृजेश यादव उर्फ लाडो यादव)
2. मु0अ0सं0 147/24 धारा 457/38411 भादवि थाना कन्धरापुर। (उपरोक्त समस्त)
3. मु0अ0सं0 203/24 धारा 331(4), 305, 317(2) BNS थाना कन्धरापुर। (उपरोक्त समस्त)

#### **आपराधिक इतिहास-**

1. बृजेश यादव उर्फ लाडो यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी ग्राम जानकीपुर अम्माई थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 214/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर
2. मु0अ0सं0 147/24 धारा 457/38411 भादवि थाना कन्धरापुर।
3. मु0अ0सं0 203/24 धारा 331(4), 305, 317(2) BNS थाना कन्धरापुर।

2. सुनील यादव पुत्र चन्द्रजीत यादव निवासी भुर्रा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 147/24 धारा 457/38411 भादवि थाना कन्धरापुर।
2. मु0अ0सं0 203/24 धारा 331(4), 305, 317(2) BNS थाना कन्धरापुर
3. मु0अ0सं0 180/23 धारा 308, 323, 504, 34 भादवि व 3(1)द, 3(1) ध, 3(2) V SC/ST Act. थाना कन्धरापुर।

3- शिवम यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी रवनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 147/24 धारा 457/38411 भादवि थाना कन्धरापुर।
2. मु0अ0सं0 203/24 धारा 331(4), 305, 317(2) BNS थाना कन्धरापुर

#### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. बृजेश यादव उर्फ लाडो यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी ग्राम जानकीपुर अम्माई थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।
2. सुनील यादव पुत्र चन्द्रजीत यादव निवासी भुर्रा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष।
3. शिवम यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी रवनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष।

**बरामदगी-** 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर (अभि0 बृजेश यादव के पास से), व 01 खाली सिलेन्डर, 02 बाल्टी, 2 जग, 01 भगौना मय ढक्कन, का व 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** व0उ0नि0 रमेश कुमार, उ0नि0 लाल सिंह, उ0नि0 जावेद अख्तर, मु0आ0 भानू प्रताप यादव, मु0आ0 गोरखनाथ सिंह, मु0आ0 सुरेन्द्र शर्मा थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

#### **थाना- कोतवाली**

#### **सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 30.07.24 को आवेदिका द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 29.07.2024 को समय लगभग 09.30 बजे रात्रि में आवेदिका अपने खेत की तरफ जा रही थी तो 4-5 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे जबरन अपनी चार पहिया वाहन में बैठाकर ले गये तथा रूम पर ले जाकर दुष्कर्म किये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 429/2024 धारा 70(1)/127(2) बीएनएस बनाम 1. सुजीत शुक्ला पुत्र तीर्थराज शुक्ला निवासी ग्राम अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष व 4-5 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय द्वारा प्रारम्भ की गयी।

➡ विवेचना के दौरान अभियुक्तों 1. पवन कुमार दुबे पुत्र सत्यदेव दुबे निवासी बांसगाँव थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 33 वर्ष 2. विशाल यादव पुत्र अनिल यादव निवासी किशुनपुर काशीनाथ थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 23 वर्ष 3. अमन यादव पुत्र जितेन्द्र यादव नि0 गुंदा थाना जहानागंज 4. तेजप्रताप यादव पुत्र अज्ञात नि0 अज्ञात थाना मुबारकपुर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

**गठित टीम-** शशिमौलि पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली आजमगढ़ व नि0अ0 रफी आलम व हमराह कां0 रोहित कुमार वर्मा, कां0 श्याम कुमार गोंड व म0कां0 शिल्पा तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़

**गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण -** आज दिनांक 31.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक शशिमौलि पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़ व नि0अ0 रफी आलम मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित गायत्री मंदिर तिराहे के पास कोडर अजमतपुर के पास मौजूद है। इस सूचना पर प्र0नि0 शशिमौली पाण्डेय मय फोर्स ने अभियुक्त 1. सुजीत शुक्ला पुत्र तीर्थराज शुक्ला निवासी ग्राम अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष, 2. पवन कुमार दुबे पुत्र सत्यदेव दुबे निवासी बांसगाँव थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 33 वर्ष, 3. विशाल यादव पुत्र अनिल यादव निवासी किशुनपुर काशीनाथ थाना गंभीरपुर जनपद



आजमगढ़ उम्र लगभग 23 वर्ष, को गायत्री मंदिर तिराहे के पास कोडर अजमतपुर के पास से समय करीब 11.40 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया। तथा अभियुक्तों के चार पहिया वाहन को मोटर वाहन एक्ट में सीज किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुजीत शुक्ला पुत्र तीर्थराज शुक्ला निवासी ग्राम अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष
2. पवन कुमार दुबे पुत्र सत्यदेव दुबे निवासी बांसगाँव थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 33 वर्ष
3. विशाल यादव पुत्र अनिल यादव निवासी किशुनपुर काशीनाथ थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 23 वर्ष

**बरामदगी का विवरण:-** 01 चार पहिया वाहन

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त सुजीत शुक्ला ने बताया कि पवन दुबे उसकी बुआ का लडका है, तथा विशाल यादव, तेजप्रताप यादव व अमन यादव सभी आपस में मित्र हैं। उस दिन सभी लोग शराब पिने के लिये बलरामपुर गाँव में खेतों की तरफ गये और वहीं बैठकर हम पाँचो लोग शराब पी रहे थे कि 01 महिला खेत की ओर जा रही थी जिसे अभियुक्तों ने जबरजस्ती पकड़कर गाडी में बैठा लिया। और फिर उसे पवन दुबे के मकान में ले जाकर सभी ने दुष्कर्म किया। किन्तु कुछ समय बाद महिला शौच के बहाने चली गयी और डायल-112 पर फोन कर दिया। जिससे अभियुक्त ने महिला को वापस छोड़ा।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 429/2024 धारा 70(1)/127(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तारी करने वाली टीम -** शशिमौलि पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली आजमगढ़ व नि0अ0 रफी आलम व हमराह कां0 रोहित कुमार वर्मा, कां0 श्याम कुमार गोंड व म0कां0 शिल्पा तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़।

